# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री प्रकाश चपलोत, 196 सदर बाजार सुवाणा, तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 28 / 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27–03–2025<br><br>कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.) | –: निर्णय :–<br><br>1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।<br>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन ऑनलाईन अपील क्रमांक 249883973661277 दिनांक 27.02.2025 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा से चाही गई। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।<br>3. अपीलार्थी द्वारा जो सूचना राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की ग्रीवेन्सेस संख्या 082300416646001 से सम्बंधित चाही गई है। इससे सम्बंधित कार्यवाही विवरण न्यायालय रीडर द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर सर्च करने पर उक्त क्रमाकिंत कोई ग्रीवेन्सेस पोर्टल पर सर्च नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा उक्त ग्रीवेन्सेस की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी स्वंय अपनी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के नम्बर 181 पर अपनी ग्रीवेन्सेस के सम्बंध में कार्यवाही सम्बंधी सूचना प्राप्त कर सकता है। यदि प्रार्थी अपीलार्थी ने अपने अपील प्रार्थनापत्र अथवा ऑन लाईन आरटीआई आवेदन में ग्रीवेन्सेस नम्बर गलत दर्ज कर दिये हो तो भी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल से अपनी सही ग्रीवन्सेस नम्बर की जानकारी प्राप्त कर वांछित कार्यवाही विवरण प्राप्त कर सकता है।<br>4. लिहाजा अपीलार्थी की मौजूदा अपील में उल्लेखित ग्रीवेन्सेस नम्बर गलत होने के आधार पर अपीलार्थी की प्रथम अपील खारीज की जाती है। निर्णय की प्रति ऑनलाईन अपलोड की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।<br>5. निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(जसमीत सिंह संधू)<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा | |